# उत्तरांचल शासन

## वन एवं पर्यावरण अनुभाग

संख्याः २६६३/१ -व.ग्रा.वि./२००१

देहरादूनः दिनांकः २६ मई, २००१

## कार्यालय ज्ञाप

१- मा० उच्चतम न्यायालय में दायर रिट संख्या- ६४६/६५ सुप्रीम कोर्ट मानीटरिंग कमेटी बनाम मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक १०-७-१६६६ को यह आदेश पारित किया गये थे कि ऐसे निर्माण कार्य जो स्थल पर आरम्भ नहीं हुए हैं । और जहां प्लिथ लेवल से ऊपर निर्माण नहीं किया गया है, वन संरक्षण अधिनियम, १६८० व उसके अधीन तत्सम्बन्धी नियमों के प्रभावी होने अथवा न होने के उत्तर प्रदेश व भारत सरकार का मत/ विचार ज्ञात होने तक उसे आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

२- मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक २६-११-१६६६ को यह अन्तरिम आदेश पारित किये गये थे ऐसे सभी प्रकरण, जिनमें वन संरक्षण अधिनियम, १६८० के अधीन भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को आवेदित न करके राज्य सरकार एवं मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए अनुमति दी गयी है, उन्हें सूचीबद्ध कर ऐसे सभी प्रकरणों में वन अधिनियम, १६८० के अधीन बनाये गये नियमों के अर्न्तगत भारत सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायें, उक्त आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक मामले में भारत सरकार स्वीकृति हेतु परीक्षण करते समय इस बात की भी जांच करेगी कि प्रकरण विशेष में दी गयी अनुमति में एक्स्ट्रानियस कंसीड्रेशन (Extraneous Consideration) निहित है या नहीं और यदि हाँ, तो उसमें उत्तरदायी अधिकारी/व्यक्ति को चिन्हित करते हुए भारत सरकार द्वारा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिये गये थे कि राज्य सरकार अथवा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के पास वन भूमि के गैर वानिकी (भवन निर्माण कार्य ) प्रयोग हेतु लम्बित पड़े समस्त आवेदन पत्रों को वन संरक्षण अधिनियम, १६८० की धारा -२ (ii) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अर्न्तगत परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी। मा० न्यायालय ने यह भी आदेश दिये थे कि दिनांक १०-७-१६६६ को पारित अन्तरिम आदेश भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये जाने तक प्रभावी रहेंगे अर्थात जिन मामलों में भारत सरकार की पूर्वानुमति नहीं ली जायेगी, उन प्रकरणों में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक १०-७-१६६६ को पारित अन्तरिम आदेश द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध प्रभावी रहेंगे ।

३- सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ने अपने पत्र दिनांक १८-६-१६६७ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से यह अपेक्षा की थी कि मा० उच्चतम न्यायालय से यह अपेक्षा की थी कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक २६-११-१६६६ को जारी किये गये निर्देशों का जहां उल्लघन हो रहा है, वहां एसे अवैध निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन के प्राधिकारी एवं अन्य, जिनके द्वारा उक्त लापरवाही (Lapses) बरती गयी है, के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर तत्काल जांच कराई जाये ।

४- उत्तर प्रदेश सरकार ने विचारोपरान्त मामले में जांच हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-४३४४/१४- २-६७-८००;५द्ध /६७ दिनांक २२-६-१६६७ द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने प्रकरणों की जांच करने हेतु विभिन्न तिथियों में बैठकें आयोजित की थी। व अन्तिम बैठक दिनांक २-८-२००० को आयोजित की गयी थी । उक्त बैठक में समिति ने यह निर्देश दिये थे कि दिनांक ४-३-२००० को आयोजित समिति की बैठक में एक्स्ट्रानियस कंसीडेशन के मामलों पर पैरामीटर्स तथा चैक लिस्ट तैयार की गयी थी, जिसके आधार पर १६५ मामले चयनित किये गये थे, तथा समिति ने यह भी निर्देश दिये थे कि भारत सरकार को निर्धारित पैरामीटर्स से अवगत कराते हुए १६५ मामलों के चयन करने का आधार बताया जाये तथा इन १६५ मामलों के अतिरिक्त शेष प्रकरणों को एक्स्ट्रानियस कंसीडेशन के विचार से बाहर होने का आधार स्पष्ट किया जाये । समिति ने यह भी मत व्यक्त किया कि इन १६५ मामलों के अतिरिक्त शेष प्रकरण स्वभाविक रूप से एक्स्ट्रानियस कंसीडेशन के विचार से बाहर हो जाते हैं । और इन पर भारत सरकार द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति देने पर विचार किया जा सकता है ।

५- मा० उच्चतम न्यायालय में दायर उक्त रिट में मा० न्यायालय के आदेश दिनांक ६-१२-२००० द्वारा उत्तरांचल राज्य को प्रतिपक्षी संख्या -३१ के रूप में इम्पलीड (IMPLED) किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम, २००० के पारित होने के पश्चात दिनांक ६-११-२००० से उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आ गया है और चूंकि उक्त वाद से सम्बन्धित समस्त मामले उत्तरांचल राज्य की सीमा के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए यह आवश्यक पाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुरूप ही एक उच्चस्तरीय समिति का गठन उत्तरांचल राज्य में भी किया जाये ।

६- अतः शासन द्वारा मामले में जांच हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है ।

१. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तरांचल शासन।
२. अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन।
३. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल।
४. उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण।
५. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
६. मुख्य नगर नियोजक, देहरादून।
७. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी - संयोजक।

जांच समिति निम्न बिन्दुओं पर जांच कर संस्तुति सहित रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।

१. एक्स्ट्रानियस कंसीडेशन के चिन्हित १६५ मामलों की आगे जांच कर सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराना।
२. यह प्रमाणित करना कि भारत सरकार को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भेजे गये ४८८ मामले ;४८५ भवन निर्माण व ३ अन्य विभागों से सम्बन्धितद्ध एक्स्ट्रानियस कंसीडेशन से मुक्त है ।
३. उक्त ४८८ मामलों में से कितने मामले मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अवमानना वादों से आच्छादित है।
४. स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्यों की स्वीकृति निरस्त कर निर्माण कार्य रोकते हुए भारत सरकार को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की दिशा में कार्यवाही करना।
५. मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण के स्तर पर निर्माण कार्यो की स्वीकृति हेतु प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों पर विचार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, १६८० के अर्न्तगत प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
६. अवैध निर्माण कार्य को रोकने की दिशा में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, वन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही किया जाना।
७. अन्य कोई बिन्दु जो समिति के समक्ष लाया जाय।

उक्त उच्चस्तरीय समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अब तक की गयी कार्यवाही से आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को शीघ्रातिसीघ्र प्रस्तुत करेगी।

ह०

(अजय विक्रम सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः २६६३/८ व.ग्रा.वि. /२००१ तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

१. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
२. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनउ ।
३. मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय ;मध्य प्रदेशद्ध वन एवं पर्यावरण मत्रालय, भारत सरकार अलीगंज, लखनउ ।
४. सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
५. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल नैनीताल।
६. उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
७. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून।
८. मुख्य नगर नियोजक, देहरादून।
९. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

आज्ञा से

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव